रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72 REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 196] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्तूबर 6, 1977/आश्विन 14, 1899
No. 196] NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 6, 1977/ASVINA 14, 1899

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF COMMERCE

PUBLIC NOTICES

IMPORT TRADE CONTROL

New Delhi, the 6th October 1977

Subject —*Import policy for April 1977—March 1978—Amendments of*

No. 83-ITC(PN) 77.—Attention is invited to import policy as contained in the Import Trade Control Policy Book (Volume I) for the period April 1977—March 1978.

2. The following amendments may be made at the appropriate places in the Import Trade Control Policy Book (Volume I) for the period April 1977—March 1978 :—

Page No. of the policy Book (Vol I)	Reference	Details of amendments
1	2	3
8	Section I, Para 55, last sentence, after existing sub-para (iii), as amended *vide* Public Notice No.59-ITC(PN)/77 dated 8-8-1977.	The following items may be inserted after the item 'Rayon Spinning pots' inserted *vide* Public Notice No.59-ITC(PN)/77 dated 8th August, 1977 :— "Nickel micro screens/Liners and perforated screens"

1	2	3
30	Section II, S.No.28.01/58-sub S. No.(3)-Selenium, column (3), remarks.	The existing remark may be substituted by the following :— "A.U."
40	Section II, S.No.45.01/04, column 3, remark (1).	The word corkwood appearing in the line (1) may be substituted by the following — "Corkwood/Granulated cork/Blocker waste."
82	Section III, Group B	The following additional item may be inserted with the following entries in respective columns :—

1	2	3
Tool Alloy & Special steels :		
5B.	Carbon case hardening steel bars/ alloy case hardening steel bars for the manufacture of piston pins and gudgeon pins only.	Import upto 50% of imported Consumption will be allowed straight-away and for the balance, the requirements may be registered with Iron and Steel Controller, Calcutta.

107	Section V, Appendix 1, Part IV, Item No. 20	The description of this item may be amended as under — "Bacitracin and Bacitracin zinc"
111	Section V, Appendix 1, Part VI, S.Nos. 22 & 24	The description of the two items may be amended as under :— "22. Corkwood/Granulated cork/Blocker Waste". 24. Copper and Beryllium Copper Capillar tubings less than 10mm O.D."
112	Section V, Appendix 1 Part VII, item No. 14.	The number of Annexure to Appendix 38 mentioned therein may be amended to read as "Annexure-I" in lieu of Annexure II.
201	Section V, Appendix 19, List I, Item No. 21.	The description of the item may be amended as under :— "Bacitracin and Bacitracin zinc"
238	Section V, List I Annexure to Appendix 24, item No. 56.	The description of this item may be amended as under :— "Ethyl/Methyl Aceto Acetate/Acetoacetic (Ethyl/Methyl) Ester."
248	Section V, Appendix 28, List II.	The following items may be inserted at appropriate places as indicated against the item :— "5. (vii) Musk Xylol, (viii) Musk Ambrette 10A. Bromine Liquid"
249	Section V, Appendix 28, List II.	The following additional item may be inserted at appropriate place :— "43A Para Nitro Phenol"

1	2	3
250	Section V, Appendix 28, List III, item Nos 33(xxiv) and 49	(1) The item "Isobornyl Acetate" appearing against sub-item (xxiv) of item No. 33 may be deleted. (2) The item "Bromine " appearing against S. No. 49 may be deleted.
251	Section V, Appendix 28 List III, item No 118.	The description of this item may be amended as under .— "Ethyl/Mathyl Aceto Acetate/Acetoacetic (Ethyl/Methyl) Ester".
252	Section V, Appendix 28, List III, item No 193	This item may be deleted.
264	Section V, Appendix 31, List A, Section I, item No. 8.	The item "photodiodes " may be inserted after the words "photo cells" and before the words "photo transistors."
295	Section V, Appendix 36, Item No 3, remarks.	The existing bracket with remark against S. No.s. 2 and 3 may be deleted Against S. No. 2, insert "Import will be allowed on restricted basis, i.e , upto 20% of the face value of licence. "
322	Section V, Appendix 41, Schedule 'D', Items 21 and 24	(1) The description of item No. 21 as amended *vide* Public Notice No. 70-ITC(PN)/77 dated 12-9-1977 may be further amended as under .— "21. Plates/sheets of boilers and pressure vessels quality in carbon steel specifications IS—2002 and ASTM-285—Grade C (Semi-Skilled)" (2) The words "canalised through SIL "appearing in column 4 against item No. 24—namely—wheels, tyres, axles and wheel sets, may be deleted
339	Section V, Appendix 49 Item 1 (2) remarks.	The words "on restricted basis" appearing against this item may be deleted.
340	Section V, Appendix 49, item No VI(3), remarks.	The words "on restricted basis" appearing against this item may be deleted.
341	Section V, appendix 49, item No. VI (12) & (16), remarks.	The words 'on restricted basis' appearing against these item s may be deleted
362	Section V, appendix 55, S. No 28 01/58 30 08 (Appendix 28) Col. 2	The following additional item may be inserted at appropriate place :— "10A Bromine Liquid."
363	Section V, Appendix 55, column 2	The following additional items may be inserted at appropriate places :— "39A Musk Xylol 39B Musk Ambrette 42A Para-nitro phenol"

वाणिज्य मंत्रालय

सार्वजनिक सूचनाएं

आयात व्यापार नियंत्रण

नई दिल्ली; 6 अक्तूबर, 1977

विषय.—अप्रैल, 1977–मार्च, 1978 के लिये आयात नीति का संशोधन ।

सं० 83–आई टी सी (पी एन)/77—अप्रैल, 1977–मार्च, 1978 अवधि की आयात व्यापार नियंत्रण नीति पुस्तक (वा० 1) मे यथा निहित आयात नीति की ओर ध्यान दिलाया जाता है ।

2. निम्नलिखित संशोधन अप्रैल 1977–मार्च, 1978 अवधि की आयात व्यापार नियंत्रण नीति पुस्तक (वा० 1) में उचित स्थानो पर किए जाएं :—

नीति पु० (वा० 1) की पृष्ठ सं०	संदर्भ	संशोधनों का विवरण
1	2	3
8	खण्ड 1, पैरा 55 वर्तमान उप-पैरा (3) के पश्चात् के बाद का यथा संशोधित वाक्य देखिए सार्वजनिक सूचना सं० 59–आई टीसी (पीएन)/77 दिनाक 8–8–77	सार्वजनिक सूचना सं०. 59–आईटीसी (पीएन)/77 दिनांक 8 अगस्त, 77 द्वारा निविष्ट मद 'रेयन स्पिनिंग पाटर्स' के पश्चात् निम्नलिखित मदें निविष्ट की जाएं — "निकल माइक्रो स्क्रीन्ज/ लाइनर्ज एवं परफोरेटिड स्क्रीन्ज"
30	खण्ड 2, क्रम सं० 28.01/58–उप क्रम सं० (3)–सेलिनियम, कालम (3), अभ्युक्तिया ।	वर्तमान प्रविष्टि निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित की जाए .— "वास्तविक उपयोक्ता"
40	खण्ड 2, क्रम सं० 45.01/04; कालम 3, अभ्युक्ति (1)	पंक्ति (1) मे आए हुए शब्द कार्क बुड को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाए :— "कार्क वुड/खुर्दरा कार्क/ब्लाकर वेस्ट"
82	खण्ड 3, ग्रुप 'बी'	निम्नलिखित अतिरिक्त मदों को तत्सम्बन्धी कालमों मे क्रमानुसार जोड़ा जाए :—

औजार, मिश्रधातु और विशेष इस्पात

1	2	3
5 बी	केवल पिस्टन पिनो और गजन	आयातित उपभोग के 50 प्रतिशत तक के

1	2	3
	पिनो के विनिर्माण के लिए कार्बन केस हार्डनिंग स्टील बार्स/मिश्रधातु केसिस हार्डनिग स्टील बार्स	लिए सीधे आयात की अनुमति दी जाएगी और शेष जरूरतों के लिए लोहा एवं इस्पात नियंत्रक, कलकत्ता के पास पंजीकरण करवाया जाए ।
107	खण्ड 5, परिशिष्ट 1, भाग 4, मद सं० 20	इस मद के विवरण को निम्न प्रकार संशोधित किया जाए :— "बैसिट्रेसिन और बैसिट्रेसिन जस्ता"
111	खण्ड 5, परिशिष्ट 1, भाग 4, क्र० सं० 22 और 24	दो मदो के विवरण को निम्न प्रकार संशोधित किया जाए — "22. कार्क वुड/खुर्दरा कार्क / ब्लाकर छीजन" 24 ताम्बा और बैरिलियम ताम्बा ट्यूबिंग नली जो 10 मि०मि० ओ० डी० से कम हो"
112	खण्ड 5, परिशिष्ट 1, भाग 7, मद सं० 14	उसमें उल्लिखित परिशिष्ट 38 की अनुबन्ध सख्या "अनुबन्ध 2" संशोधित करके "अनुबन्ध 1" पढ़ी जाए ।
201	खण्ड 5, परिशिष्ट 19, सूची 1, मद सं० 21	मदों के विवरण को निम्न प्रकार संशोधित किया जाए :— "बैसिट्रेसिन और बैसिट्रेसिन जस्ता"
238	खण्ड 5, सूची 1, परिशिष्ट 24 का अनुबन्ध, मद सं० 56	इस मद के विवरण को निम्न प्रकार संशोधित किया जाए :— "एथिल/मैथिल [एमीटो एसीटेट/ अमेटोएसेटिक (एथिल / मेथल) इस्टर"
248	खण्ड 5, परिशिष्ट 28, सूची 2	निम्नलिखित मदो को मद के सामने यथा संकेतित उचित स्थानों पर जोड़ा जाए :— "5 (7) मस्क जाइलाल, (8) मस्क अम्ब्रेटी 10ए ब्रोमीन लिक्विड"
249	खण्ड 5, परिशिष्ट 28, सूची 2	निम्नलिखित अतिरिक्त मदे उचित स्थानो पर जोड दी जाएं :— "43 ए पैरानाइट्रोफिनोल"

1	2	3
250	खण्ड 5, परिशिष्ट 28, सूची 3, मद सं० 33 (24) और 49	(1) मद संख्या 33 की उप-मद (24) के सामने की मद आइसोबार्नील एसीटेट को हटा दिया जाए (2) क्रम स० 49 के सामने की मद सं० ओमीन को हटा दिया गया समझा जाए ।
251	खण्ड 5, परिशिष्ट 28, सूची 3, मद सं० 118	इस मद के विवरण को निम्न प्रकार संशोधित किया जाए — "एथिल/मिथिल असेटो एसीटेट / असेटो-असेटिक (एथिल मिथिल) इस्टर"
252	खण्ड 5, परिशिष्ट 28, सूची 3, मद सं० 193	इस मद को हटा दिया जाए ।
264	खण्ड 5, परिशिष्ट 31, सूची 'ए', खण्ड 1, मद सं० 8	मद "फोटोडिओड्स" को शब्द "फोटो सेल" के पश्चात् और शब्द फोटो ट्रान्सीस्टर्स से पहले जोड दिया जाए ।
295	खण्ड 5, परिशिष्ट 36, मद सं० 3, टिप्पणी	वर्तमान कोष्ठक को क्रम सं० 2 और 3 के सामने की टिप्पणी सहित हटा दिया जाए । क्रम सं० 2 के सामने "आयात की अनुमति प्रतिबन्धित आधार पर अर्थात् लाइसेंस पर अंकित मूल्य के 20 प्रतिशत तक दी जाएगी" जोडा जाए ।
322	खण्ड 5, परिशिष्ट 41, अनुसूची 'डी', मद स० 21 और 24	मद संख्या 21 के प्रतिबन्ध यथा संशोधित देखिए सार्वजनिक सूचना सं० 70—आईटीसी (पीएन) / 77 दिनाक 12—9—77 को आगे निम्न प्रकार संशोधित कर दिया जाए :— "प्लेट्स/बायलरो की शीट्स और कार्बन इस्पात मे प्रेशर वैसल किस्म विशिष्ट करण आई एस—2002 और ए एस टी एम—285 वर्ग-सी (सेमिफिल्ड) ।"

1	2	3
		(2) मद संख्या 24 अर्थात्—ह्वील्स, टायर्स, एक्सल और ह्वील सेट के सामने कालम 4 में आने वाले शब्द "सेल इन्टरनेशनल लि० के माध्यम से सरणीबद्ध" को हटा दिया जाए ।
339	खण्ड 5, परिशिष्ट 49, मद (2), टिप्पणी	इस मद के सामने वाले शब्द "प्रतिबन्धित आधार" को हटा दिया जाए ।
340	खण्ड 5, परिशिष्ट 49, मद संख्या 6(3), टिप्पणी	वही
341	खण्ड 5, परिशिष्ट 49, मद सं० 6(12) और 16, टिप्पणी	इन मदों के सामने आने वाले शब्द "प्रतिबधित आधार" को हटा दिया जाए ।
362	खण्ड 5, परिशिष्ट 55, क्रम सं० 28 01/30 08 58 (परिशिष्ट 28) कालम 2	उचित स्थान पर निम्नलिखित अतिरिक्त मदें जोड दी जाए "10 ए तरल ब्रोमीन "
363	खण्ड 5, परिशिष्ट 55, कालम 2	निम्नलिखित अतिरिक्त मदों को उचित स्थानों पर जोड़ दिया जाए :— "39—ए मस्क जाइलाल 39—बी मस्क अम्ब्रेटी 42-ए पैरा-नाइट्रो फिनोल "

SUBJECT —*Import of items allowed under free licensing scheme· Import Policy for April 1977—March 1978.*

No. 84-ITC(PN)/77—Attention is invited to the import policy contained in Appendix 2 of the Import Trade Control Policy Book (Vol. I) for the period April 1977—March 1978 regarding issue of licences to actual users and others for items on free licensing

2. In order to streamline the procedures relating to the issue of licences on free licensing basis with the utilisation of the credits made available by other Governments to India, it is considered desirable to call upon eligible importers to Indicate the likely source or sources of import of the items mentioned in Appendix 2 of the ITC Policy Book for 1977-78, except the S No 1, namely permissible spare parts meant for maintenance of the imported machinery or the imported parts of indigenous machinery This would enable the licences already issued or proposed to be issued in such cases to be endorsed for the appropriate credit coverage based upon the desired country or countries of origin and/or shipment thereof In case there is more than one source, it is necessary that the quantity and the value of the goods relating to each source of imports should be separately indicated by the eligible importer It is hereby clarified that this represents no change in the basis of free licensing as such

3 Accordingly all licensees presently holding licences are advised to furnish to the concerned licensing authorities the relative particulars set out as above and get

their licences endorsed Necessary instructions are being communicated to the Licensing authorities in the regard

4 So far as applications that have already been submitted to the Licensing authorities and against which licences are yet to be granted, are concerned, the applicants are hereby advised to furnish the requisite particulars as above as soon as possible The Licensing authorities have been advised to process the applications if otherwise in order and await the applicants' further communication This will assist in the early disposal of such applications.

5 As regards applications that are submitted to the Licensing authorities on or after 1st November, 1977, the Licensing authorities are being advised that every application that *does not* contain the additional information required as above may be treated as deficient (inter alia) to that extent. Hence applicants are advised to furnish the particulars ab initiao in their own interests.

K V. SESHADRI,
Chief Controller of Imports & Exports.

विषय.—स्वतन्त्र लाइसेंस योजना के अन्तर्गत स्वीकृत मदों का आयात—अप्रैल, 1977—मार्च, 1978 के लिए आयात नीति ।

सं० 84-आई टी सी (पी एन) '77—स्वतन्त्र लाइसेंस पर मदों के आयात के लिए वास्तविक उपयोक्ता एवं अन्य को लाइसेंस जारी करने के सम्बन्ध में अप्रैल, 1977–मार्च 1978 की अवधि के लिए आयात व्यापार नियंत्रण नीति पुस्तक (वा० 2) के परिशिष्ट–2 में दी गई आयात नीति की ओर ध्यान दिलाया जाता है ।

2 भारत को अन्य सरकारों द्वारा उपलब्ध कराए गए ऋणों के उपयोग के साथ स्वतन्त्र लाइसेंस के आधार पर लाइसेंस जारी करने से सम्बन्धित क्रियाविधि को सरल एवं कारगर बनाने के लिए 1977–78 के लिए आई टी सी नीति पुस्तक के परिशिष्ट 2 में वर्णित क्रम सं० 1, अर्थात् आयातित मशीनरी के लिए अनुमेय फालतू पुर्जों अथवा देशी मशीनरी के आयातित पुर्जों को छोड़कर अन्य मदों के आयात के सम्भावित स्रोत या स्रोतों को निर्दिष्ट करने के लिए पात्र आयातकों को बुलाना आवश्यक समझा गया है। वांछित उद्गम देश या देशों और या उनके पोत लदान पर आधारित समुचित ऋण राशि के लिए जो लाइसेंस पहले ही जारी कर दिए गए हैं या जारी करने का प्रस्ताव है ऐसे मामले में लाइसेंस पर पृष्ठांकन में यह समर्थ बनाएगा । एक से अधिक स्रोत के मामले में यह आवश्यक है कि आयातों के प्रत्येक स्रोत से सम्बद्ध मालों की मात्रा को पात्र आयातक द्वारा अलग से सूचित किया जाना चाहिए। एतद्द्वारा यह स्पष्ट किया जाता है कि यह स्वतन्त्र लाइसेंस के आधार में किसी परिवर्तन को सूचित नहीं करता ।

3. तदनुसार, फिलहाल जितने भी लाइसेंसधारी हैं, सलाह दी जाती है कि वे सम्बद्ध लाइसेंस प्राधिकारियों को ऊपर निर्धारित तरीके से सम्बद्ध ब्यौरे भेजें और अपने लाइसेंसों का पृष्ठांकन करवाएं। इस सम्बन्ध में आवश्यक अनुदेश लाइसेंस प्राधिकारियों को भेजे जा रहे हैं ।

4 जहां तक ऐसे आवेदनपत्रों का सम्बन्ध है जो लाइसेंस प्राधिकारियों को पहले ही भेजे जा चुके हैं और जिनके मद्दे अभी भी लाइसेंस प्रदान किए जाने हैं, आवेदकों को एतद्द्वारा सलाह दी जाती है कि वे उक्त अपेक्षित विवरण शीघ्रातिशीघ्र भेज दें । लाइसेंस प्राधिकारियों को सलाह दी गई है कि यदि आवेदन-पत्र अन्यथा रूप से ठीक है तो वे उन पर कार्रवाई करें और आवेदकों की ओर से संदेशों का इन्तजार करें । यह ऐसे आवेदनपत्रों के शीघ्र निपटारे में सहायता करेगा ।

5. ऐसे आवेदन पत्रों के सम्बन्ध में जो लाइसेंस प्राधिकारियों को 1 नवम्बर, 1977 को इसके बाद प्रस्तुत किए जाते हैं सम्बद्ध लाइसेंस प्राधिकारियों को सलाह दी जा रही है कि ऐसे प्रत्येक आवेदन पत्र जिसमें ऊपर वांछित अतिरिक्त सूचनाएं नहीं हैं उन्हें इस सीमा तक (अन्य बातों के साथ-साथ) अपूर्ण समझें। अतः आवेदकों को सलाह दी जाती है कि वे अपने ही हित में शुरू में ही ब्यौरे भेजें।

का० बे० शेषाद्रि,
मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात।

महा प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, मिन्टो रोड, नई दिल्ली द्वारा
मुद्रित तथा नियंत्रक, प्रकाशन विभाग, दिल्ली द्वारा प्रकाशित 1977

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1977